



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 कार्तिक, 1942 (श०)

संख्या- 556 राँची, गुरुवार,

4 नवंबर, 2021 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

2 नवंबर, 2021

संख्या-ख०नि०(लौह)-40/2020-2248—एम०, खान एवं भूतत्व विभाग के संलेख ज्ञापांक-1112, दिनांक-18.08.2020 में सन्निहित प्रस्ताव एवं मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-18.08.2020 में मद संख्या-09 द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत पूर्व धारित 07 (सात) लौह अयस्क खनन पट्टों यथा मेसर्स रामेश्वर जूट मिल्स, मौजा-बराईबुरु, रकबा-258.99 हे०, मेसर्स निर्मल कुमार प्रदीप कुमार, मौजा-घाटकुड़ी आर०एफ०, रकबा-149.74 हे०, श्री पदम कुमार जैन, मौजा-ठाकुरानी, रकबा-84.68 हे०, श्री मिश्री लाल जैन एण्ड सन्स, मौजा-करमपदा आर०एफ०, रकबा-202.35 हे०, मेसर्स शाह ब्रदर्स, मौजा-करमपदा आर०एफ०, रकबा-233.89 हे०, सर्वश्री रूंगटा माईन्स लि०, घाटकुड़ी आर०एफ०, रकबा-138.85 हे० एवं सर्वश्री आर० मैक्डिल एण्ड क०, मौजा- करमपदा आर०एफ०, रकबा-110.08 हे० को राज्य सरकार के उपक्रमों के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-17A(2) के तहत भारत सरकार की सहमति प्राप्त करते हुए उक्त लौह अयस्क क्षेत्रों को झारखण्ड राज्य के गजट के माध्यम से आरक्षित करने का प्रस्ताव प्रस्तावित था ।

खान मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा यह सलाह दिया गया है कि "Reservation of blocks for Government Company may be taken up only in cases where subsequent to auction if the successful bidder fails to execute the Mining Lease or after execution of Mining Lease the lease holder fails to start production as prescribed." प्रसंगाधीन लौह अयस्क ब्लॉक के सरकारी कम्पनी के लिए समुचित निदेश सरकार से प्राप्त कर लिया जाएगा।

खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड के संलेख जापांक-1571/एम०, राँची, दिनांक-20.10.2021 में सन्निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-21.10.2021 में मद संख्या-11 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आलोक में पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत अवस्थित लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों का राज्य सरकार के उपक्रमों हेतु आरक्षण संबंधी लिए गए निर्णय को तत्काल स्थगित रखा जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हरि कुमार केशरी,
सरकार के संयुक्त सचिव।
